

::प्रधानआयुक्त (अपील्स) का कार्यालय,वस्त् एवं सेवा करऔर केन्द्रीय उत्पाद शुल्कः: O/O THE PRINCIPAL COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE.



दवितीय तल,जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan, रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,

<u>राजकोट / Rajkot – 360 001</u>

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142Email: cexappealsrajkot@gmail.com

<u>रजिस्टर्डडाकए.डी.द्वारा</u>:-

DIN-20201064SX00001W189B

ල්දු

अपील / फाइतसंख्या/ Appeal /File No.

V2/76/RAJ/2020

मल आदेश सं /

O.1.O. No.

DC/JAM-L/ST/05/2020-21

दिनांक/

Date

17.07.2020

अपील आदेश संख्या(Order-In-Appeal No.): रव

RAJ-EXCUS-000-APP-105-2020

आदेश का दिनांक / Date of Order:

19.10.2020

जारी करने की तारीख /

Date of issue:

19.10.2020

श्री गोपी नाथ, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित/

Passed by ShriGopi Nath, Principal Commissioner (Appeals), Rajkot

अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/वस्त् एवंसेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। दवारा उपरतिखित जारी मृल आदेश से मृजितः /

Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST,

Raikot / Jamnagar / Gandhidham :

अपीलकर्ता&प्रतिवादी का नाम एवं पताः /Name&Address of theAppellant&Respondent :-

M/s. Tannushri Enterprise, At Main Baser, Fant Andana, Taluka Lalpur, District Jamnagar.

इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति जिम्नलिखित तरीके में उपचृदत प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/ Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may ग्रीडिटा appeal to the appropriate authority in the following way.

सीमा शुल्क ,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम ,1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत कि की जा सकती हैं।/ (A)

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tributal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्ज, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर. के. प्रम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए ।/

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क,केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट)की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,द्वितीय तल, बहुमाली भवन असार्वा अहमदाबाद- ३८००१६को की जानी चाहिए ।/ (ii)

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2^{nd} Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तृत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए । इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की माँग बयाज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुन्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुन्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए! संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुन्क जमा करना होगा।/

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1.000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of dutydemand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम,1994की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपन्न S.T.-5में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग ,ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/-रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट व्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ज्ञाफ्ट को भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्ट्रे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ।/ (B)

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs. 10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is interest demanded & penalty levied is some than fifty Lakhs, rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-

...2...

(i) वित अधिनियम,1994की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के उत्तर्गत दर्ज की गयी अधील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दवारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त दवारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। /

The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissionerauthorizing the Assistant Commissioner or Depute Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

(ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (संस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियन 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वितीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय पाधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "जांग किए गए शुल्क" में जिम्न शामिस हैं

धारा 11 डी के अंतर्गत रकन

सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि (ii)

सेनवेट जमा नियमावली के नियम ६ के अंतर्गत देय रक्तम (iii)

वशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वितीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आएंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समझ

विचाराधीन स्थगन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होगे।/

विचाराधीन स्थान अज़ी एवं अपील को लाग नहीं होगे।/
For an appeal to be filed before the CESTÂT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tex under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall be before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include:

(i) amount determined under Section 11 D;

(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;

(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(C)

हारत सरकार कापनराक्षण आवदन : Revision application to Government of India: इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निक्नतिखित मामलो में,केंद्रोध उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतृष्ठ के अंतर्गतअवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई,वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application University of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Deni-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी बाल को किसी कारखाने से अंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक अंडार गृह से दूसरे अंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी अंडार गृह में या अंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी अंडार गृह में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी अंडार गृह में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी अंडार गृह में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी अंडार गृह में या अंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी अंडार गृह में या अंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, विकास के प्रसंस्करण के दौरान, विकास के प्रसंस्करण के दौरान, विकास गृह में या अंडारण अंडारण के दौरान या किसी अंडार गृह में या अंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, विकास के प्रसंस्करण के दौरान, विकास गृह में या अंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, विकास गृह में या अंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, विकास गृह में या अंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, विकास गृह में या अंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, विकास गृह में या अंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, विकास गृह में या किसी अंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, विकास गृह में या अंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, विकास गृह में या अंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, विकास गृह में या अंडारण में माल के प्रसंस्करण में माल म (i)

भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्धात कर रहे माल के विजिक्षाण में प्रयुक्त करने शास पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिवेट) के नामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (11)

यदि उत्पाद शुक्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, लेगाल या भूटाल को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outsideIndia export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. (iii)

सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो इयूटी क्रेडोट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न॰ 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायादिधि (iv) नार एस आदश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा विसे आधानयम (क. 2), 1998 का धारा 109 के द्वारा नियत का गई ताराख अपया समयाधान पर या बाद में पारित किए गए हैं।/ Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is nassed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपन्न संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्यादन शुल्क (अपील)नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की टो प्रतिया संलयन की जानिए। साथ ही केन्द्रीय प्रतियाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साध्य के तौर पर TR-6 की प्रति संतरन की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. RA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-in-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 25-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नितिखित निर्धारित शुद्धा की अदाधभी की लागी खाहिए। जहाँ संतरन रकम एक ताख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का शुगतान किया। जाए और यदि संतरन रकम एक ताख-रूपये से ज्यादा हो (v!)तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए प्राप्तियांति अधीलीय अचाधिकरण को एक अधील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case,if the order covers second-sumbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govi, As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. I lake fee of Rs. 100/- for each. (D)

यथासंशोधित ल्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूरी र के अनुसार जूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का (E) प्रवासातिय शुक्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case reay be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-! in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अवीदीय व्याहाशिकरण (कार्य विधि) विश्वमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलीं को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आर्कावित विज्ञा पात्र हो! / Attention is also invited to the rules covering that a subject related matters contained in the Customs. Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) 10 (18, 1882) (F)

उच्च अपीतीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संगीत जिल्हा निर निर्मातम प्रतिधानों के लिए, अपीलायी विभागीय देवसाइट (G) www.chec.gov.in को देख सकते हैं । / Por the elaborate, detailed and latest provide a complete to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental way.

Appeal No: V2/76/RAJ/2020

:: ORDER IN APPEAL ::

M/s Tannu Enterprise, Padana, District Jamnagar (hereinafter referred to as 'Appellant') has filed Appeal No. V2/76/RAJ/2020 against Order-in-Original No. DC/JAM-I/ST/05/2020-21 dated 17.7.2020 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Dy Commissioner, GST Division-I, Jamnagar (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').

- 2. The facts of the case are that the Appellant was registered with service tax having registration No. AAGFT1619LSD001. The inquiry initiated against the Appellant revealed that they had short paid service tax during the period from October, 2016 to June, 2017. Hence, the Show Cause Notice No. V.ST/GSTR-IV/JAM-I/24/2019-20 dated 24.9.2019 was issued to the Appellant calling them to show cause as to why Service Tax of Rs. 18,99,737/- should not be demanded and recovered from them under proviso to Section 73(1) of the Finance Act, 1994 along with interest under Section 75 and proposed imposition of penalty under Sections 76,77 and 78 of the Act.
- 2.1 The above Show Cause Notice was adjudicated by the adjudicating authority vide the impugned order who confirmed Service Tax of Rs. 18,99,737/- under Section 73(1) of the Act along with interest under Section 75 and imposed penalty of Rs. 1,89,974/- under Section 76 and Rs. 20,000/- under Section 77(2) of the Act.
- 3. Aggrieved, the Appellant has preferred appeal on the grounds that the adjudicating authority has erred in facts and law in confirming service tax demand of Rs. 18,99,737/- under Section 73(1) of the Finance Act,1994 and imposed penalty under Section 76 of the Act.
- 4. I find that the Appellant was required to pre-deposit 7.5% of service tax amount in terms of Section 35F of the Act. The relevant provisions are reproduced as under:

"SECTION 35F. Deposit of certain percentage of duty demanded or penalty imposed before filing appeal. — The Tribunal or the Commissioner (Appeals), as the case may be, shall not entertain any appeal —

(i) under sub-section (1) of section 35, unless the appellant has deposited seven and a half per cent. of the duty, in case where duty or duty and penalty are



in dispute, or penalty, where such penalty is in dispute, in pursuance of a decision or an order passed by an officer of Central Excise lower in rank than the [Principal Commissioner of Central Excise or Commissioner of Central Excise];"

- 5. On going through the Appeal Memorandum, I find that the Appellant has shown to have deposited Rs. 10,00,000/- as pre-deposit as per Sr. No. 6 of Form ST-4. On verifying the payment challan, I find that the Appellant had deposited Rs. 10,00,000/- on 24.6.2019 i.e. prior to issuance of Show Cause Notice dated 24.9.2019. Further, I find that the adjudicating authority at para 11 of the impugned order has observed as under:
 - "... As per details available in impugned show cause notice, the service tax liability for the period from October, 2016 to June, 2017 involves service tax dues of Rs. 28,99,737/- for which the Noticee has already paid Rs. 10,00,000/-. Hence, Show Cause Notice was issued to the Noticee for the remaining amount due to non-payment / short payment of service tax to the tune of Rs. 18,99,737/-."
- 6. In view of above, it is apparent that the said amount of Rs. 10,00,000/-deposited by the Appellant prior to issuance of Show Cause Notice was deducted from total service tax dues of Rs. 28,99,737/- and Show Cause Notice was issued for demanding service tax of Rs. 18,99,737/- and hence, the said amount of Rs. 10,00,000/- does not pertain to the present case and cannot be considered for the purpose of Section 35F ibid. The Appellant is required to make pre-deposit of Rs. 1,42,480/- i.e. 7.5% of service tax in dispute i.e. Rs. 18,99,737/-, as per the provisions of Section 35F ibid. Since, the Appellant has not made payment of pre-deposit of Rs. 1,42,480/-, which is mandatory under Section 35F of the Act, the present appeal cannot be entertained and is required to 18 dismissed for non compliance of the provisions of Section 35F of the act and I do so.
- 7. In view of above, I uphold the impugned order and dismiss the appeal filed by the Appellant.

8. अपीलकर्ता दवारा दर्ज की गई अगील जा जियदारा उपराक्त तरीके से किया जाता है।

8. The appeal filed by Appellant is disposed off as above.

erincipal Commissioner(Appeals)

<u>Attested</u>

(N)

(V.T.SHAH)
Superintendent(Appeals)


By Regd Post AD

To,
M/s. Tannushri Enterprise,
At Main Bazar, Post Padana,
Taluka Lalpur,
District Jamnagar.

सेवा में, तैसर्स तन्नुश्री एंटरप्राइज़, मुख्य बाज़ार, पोस्ट पदाना, तालुका लालपुर, जिल्ला जामनगर।

प्रतिलिपि:-

- 1) प्रधान मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, राजकोट को आवश्यक कार्यवाही हेत्।
- 3) उप आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जामनगर-1 मण्डल, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।





-•